प्रेस विज्ञप्ति
19.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 88.29 एकड़ में फैली और 300.11 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियां गांव- बशारिया, तहसील- हरसरू, जिला- गुरुग्राम, हरियाणा में भूमि खंडों के रूप में स्थित हैं।

ईडी ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए अधिनियम) की धारा 4 और तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित भूमि मालिकों की भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करवाकर विभिन्न भूमि मालिकों, आम जनता और हरियाणा राज्य/एचयूडीए के साथ धोखाधड़ी शामिल है, जिसके कारण भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पूर्व प्रचलित कीमत से कम कीमत पर उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को अपनी भूमि बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र (एलओआई)/ लाइसेंस प्राप्त कर लिए, जिससे संबंधित भूस्वामियों, आम जनता और हरियाणा राज्य/एचयूडीए को नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने स्वयं गलत तरीके से लाभ कमाया।

ईडी की जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स आर.एस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरएसआईपीएल) ने एफआईआर में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की और कानूनी आधार के बिना उनके मामले को "अत्यधिक कठिनाई का मामला" के रूप में वर्गीकृत करके, अवैध रूप से एक वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ जमीन के लिए अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त किए। वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस हासिल करने पर भी, मेसर्स आरएसआईपीएल के प्रमोटरों ने वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं की, जोकि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त थी। बाद में, उन्होंने कंपनी के शेयर और संपत्ति, जिसमें उक्त लाइसेंस प्राप्त भूमि भी शामिल थी, को 726 करोड़ रुपये की भारी रकम में मेसर्स रेलिगेयर समूह की एक संबद्ध इकाई मेसर्स लो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। अवैध रूप से उक्त लाइसेंस प्राप्त करने की इस धोखाधड़ी गतिविधि के परिणामस्वरूप 300.15 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न हुई है, जिसे बाद में आरएसआईपीएल से मेसर्स आरएसआईपीएल के प्रमोटरों के बैंक खातों में और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया और बाद में मेसर्स एम3एम समूह की कंपनियों के परिचालन और व्यावसायिक खर्चों के लिए उपयोग किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

<u>कुर्क की गई भूमि की तस्वीरें</u>